उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10
संख्या- 9 /2026/244/2026-27-10001(099)/5/2022-10
लखनऊः दिनांकः 09 मार्च, 2026

कार्यालय-ज्ञाप

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05.11.2014 के प्रस्तर-6(1) में निहित प्राविधानों के अनुसार वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 में पूर्व में गठित सभी स्क्रीनिंग कमेटी को अवक्रमित करते हुए पुन: निम्नवत स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाता है:-

1.	सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2.	विशेष सचिव (सम्बन्धित अनुभाग), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
3.	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष/प्रमुख अभियन्ता (यां0) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य

उक्त समिति में वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 लखनऊ को **विशेष आमंत्रित सदस्य** के रूप में नामित किया जाता है।

राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव।

संख्या- 9 /2026/244(1)/2026-27-10001(099)/5/2022-10-तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन।
(2) निजी सचिव, सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन।
(3) निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन।
(4) समस्त अनुभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन।
(5) प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) प्रमुख अभियन्ता (याँत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(7) वित्त नियन्त्रक, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।